रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 360] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 1997/आषाढ़ 3 , 1919
No. 360] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24 , 1997/ASADHA 3 , 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 1997

का. आ. 455(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 823(अ), तारीख 27-11-1996 द्वारा "नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैण्ड" (एन.एस.सी.एन.) को जिसके अन्तर्गत सभी गुट और उसके विंग है, विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 893(अ), तारीख 24 दिसम्बर, 1996 द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया था जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री डी. के. जैन थे,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना 24 दिसम्बर, 1996 को उक्त अधिकरण को यह न्यायनिर्णीत करने के प्रयोजन के लिए निर्देशित की थी कि उक्त संगम को जिसके अन्तर्गत उसके सभी गुट और उसके विंग है, विधि विरुद्ध शोषित करने का पर्याप्त हेतु है या नहीं,

और उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मई, 1997 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें अधिसूचना का. आ. 823(अ), तारीख 27 नवम्बर, 1996 में की गई घोषणा की पुष्टि की गई थी,

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अनुसरण में, उक्त अधिनियम के उक्त आदेश को प्रकाशित करती है ।

विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) ट्रिब्यूनल

संदर्भ : नागालैण्ड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0के0 जैन

उपस्थित : **श्री ए0के0 वाली, भारत संघ स्थायी अधिवक्ता**

श्री शकील अहमद सईद तथा श्री एम0 तैय्यब खान और सुश्री के0वी0 हिना असम राज्य की अधिवक्ता,

श्री स्वराज कौशल, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा एस0के0 पाम्बी, अरुणाचल प्रदेश के अधिवक्ता,

सुश्री एस0 जनानी और सुश्री रुमसाना चौधरी, मणिपुर राज्य की अधिवक्ता,

सुश्री वनिता साहनी, नागालैंड राज्य की अधिवक्ता

नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड - एक पक्ष ।

आदेश

1. विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (संक्षेप में अधिनियम) के खंड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 27 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 823 (अ) द्वारा इसमें निहित कारणों से नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसके बाद इसे एन0एस0सी0एन0 कहा गया है), इसके सभी धड़ों, स्कंधों, मुख्य संगठनों पर तत्काल प्रभाव से विधि-विरुद्ध संगठन के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना में उल्लिखित कारणों से, केन्द्र सरकार ने यह निदेश भी दिया है कि अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत बनाए गए किसी आदेश के अध्यधीन, कथित अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू मानी जाएगी । अधिसूचना 27 नवम्बर, 1997 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की जा चुकी है ।

2. इस अधिसूचना के परिणामस्वरूप भारत सरकार के गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने 24

नवम्बर, 1996 को एक पृथक अधिसूचना संख्या-का0आ0 893(अ) द्वारा, अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इस ट्रिब्यूनल का गठन किया और अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत यह निर्णय करने के लिए इसको निदेश दिया कि क्या एन0एस0सी0एन0 और इसके धड़ों, स्कंधों और मुख्य संगठनों को विधि-विरूद्ध संघ घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं । इसी शाम, 27 नवम्बर, 1996 की राजपत्र अधिसूचना के साथ वह निदेश प्राप्त किया गया जिसमें इसके जारी होने के आधार बताए गए थे । इसके साथ ही 24 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना की प्रति प्राप्त की गई जिसके द्वारा ट्रिब्यूनल के गठन और एन0एस0सी0एन0 और इसके सभी धड़ों, स्कंधों और मुख्य संगठनों के लक्ष्यों, उद्देश्यों और गतिविधियों का संक्षिप्त सार दिया गया था । सार को पढ़ने से निम्नलिखित संगत तथ्य उभर कर सामने आए जो धारा 3(1) के अंतर्गत अधिसूचना के जारी किए जाने के आधार हैं ।

(i) 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ए0जेड0 फिजो के नेतृत्व में कुछ नागाओं ने जून, 1947 में इस आशय की चेतावनी दी थी कि अगस्त, 1947 में नागालैंड पूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र राज्य बन जाएगा । तदनुसार नागा आतंकवादियों ने 14 अगस्त, 1947 को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और उन्होंने नागा बाहुल क्षेत्र को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की भारत सरकार की पेशकश ठुकरा दी । 1954 तक ए0जेड0 फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल ने हिंसक और विघटनकारी गतिविधियां शुरू दी । उन्होंने सरकारी शिविर जला दिए और नागरिकों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी ।

(ii) नेशनल पीपुल्स काउंसिल के कुछ लोगों के साथ हुए समझौते के फलस्वरूप नागालैंड अधिनियम 1962 अधिनियमित किया गया और 1 दिसम्बर, 1963 से नागालैंड नामक पृथक राज्य अस्तित्व में आया । तथापि, ए0जेड0 फिजो के नेतृत्व में नागा नेशनल काउंसिल के एक वर्ग की अलगाववादी विघटनकारी और हिंसक गतिविधियां जारी रहीं । इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास किए गए जिसके फलस्वरूप 11 नवम्बर, 1975 को असम और नागालैंड की सरकार तथा नागा लोगों के प्रतिनिधियों के बीच "शिलांग समझौता" नामक एक समझौता हुआ । भूमिगत हुए बहुत से नागाओं ने बिना शर्त आत्म समर्पण कर दिया, अपने

हथियार छोड़ दिए और भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया । समर्पण करने वालो का सरकार द्वारा पुनर्वास किया गया ।

(iii) तथापि, इसाक स्वू, थम्पूवाह और एस0एस0 कापलांग के नेतृत्व में दुर्दात आतंकवादियों के एक वर्ग ने शिलांग समझौते को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने 1980 में नेशनल काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन0एस0सी0एन0) का गठन कर लिया । एन0एस0सी0एन0 ने नागा बहुल क्षेत्रों को भारतीय गणतंत्र से अलग करने को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया और विघटनकारी तथा हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गई । बाद में, 1988 में एन0एस0सी0एन0 दो धड़ों एन.एस.सी.एन.(के) का नेतृत्व एस.एस. कापलांग कर रहा था और एन.एस.सी.एन. (आई) नामक दूसरे धड़े का नेतृत्व इसाक स्वू और थ. मूइवाह कर रहे थे ।

(ii) अपने अलगाववादी लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एन.एस.सी.एन. (के) और एन.एस.सी. एन(आई) नामक दोनों धड़ों ने अपने साझा संविधान के तहत सिविल पद्धति पर समानांतर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड सरकारों का गठन किया । दोनों धड़ों की अपनी अपनी सेनाएं हैं जो नियमित सेना की तर्ज पर बनाई गई है । नागा सेना के दोनों धड़ों के पास अत्याधुनिक किस्म के हथियार हैं ।

(i) एन.एस.सी.एन. के दोनों धड़ों का अपना संविधान है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि नागा बहुल क्षेत्रों को भारत संघ से अलग करना अंतिम लक्ष्य है । ये अनेक विघटनकारी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार रहे हैं । इनमें सेना और पुलिस कार्मिकों को मारने और उनसे हथियार तथा गोला बारूद छीनने जैसे हिंसक घटनाएं शामिल हैं । इन घटनाओं में अनेक सैनिक / पुलिस कर्मियों और नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी ।

(i)(क) इन दोनों धड़ों ने उत्तर पूर्व के अन्य आतंकवादी गुटों को प्रेरणा और सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । एन0एस0सी0एन0 (आई) और एन0एस0सी0एन (के) नामक दोनों धड़ों का असम के उल्फा से संपर्क है जिसे अधिनियम के तहत विधि-विरुद्ध घोषित किया जा चुका है, जबकि एन.एस.सी.एन.(आई) का पी.एल.ए. और यून.एन.एल.एफ. जैसे मैतेई अतिवादियों से संपर्क है, एन.एस.सी.एन. (के) का संपर्क यून.एन.एल.एफ. के एक धड़े से है जो मणिपुर के घाटी क्षेत्र में सक्रिय मैतेई अतिवादी गुट

(ii) जबकि एन0एस0सी0एन0 (के) अपने मुख्यालय म्यांमार से अपनी गतिविधियां चलाता है, एन0एस0सी0एन0 (आई) के बंगलादेश में शरणस्थली और प्रशिक्षण शिविर हैं । बंगलादेश में नई सरकार के गठन के बाद वे उसे म्यांमार ले जाने की सोच रहे हैं ।

(iii) एन0एस0सी0एन0 के दोनों धड़े अलगाववादी दुष्प्रचार और विघटनकारी/आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न हैं । नागा आर्मी और तथाकथित गवर्नमेंट ऑफ पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड (जी·पी·आर·एन·) से निकट सम्पर्क रखते हुए वे अत्यधिक हिंसा करने में अभी भी लिप्त हैं । नागालैंड के कोहिमा जिले में हाल ही में 9 दिसम्बर, 96 को एन·एस·सी·एन·(आई) के विद्रोहियों ने 29 यात्रियों को मार डाला (जिनमें 14 महिलाएं और दो बच्चे थे) तथा 36 अन्य को घायल कर दिया था ।

(iv) एन·एस·सी·एन·(आई·) और एन·एस·सी·एन·(के) की प्रतिद्वन्द्विता के परिणामस्वरूप नागालैंड, मणिपुर और असम में नागा विद्रोहियों द्वारा की गई 594 हिंसक घटनाओं में 398 व्यक्ति मारे गये जिनमें सुरक्षा बलों/पुलिस के कार्मिक भी शामिल है ।

(v) अप्रैल-मई, 1995 में, एन·एस·सी·एन·(आई) और पूर्वोत्तर के कई विद्रोही गुटों द्वारा ले जायी जा रही अवैध हथियारों की एक खेप सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ ली गयी थी जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार पकड़े गये और 58 विद्रोही मारे गये तथा 43 पकड़े गए ।

3· सार में, अगस्त,94 से दिसम्बर,96 तक की हिंसक घटनाओं के आंकड़े नागालैंड, मणिपुर और असम राज्यों में नागा विद्रोहियों द्वारा मारे गये सुरक्षा बलों/पुलिस के कार्मिकों और नागरिकों की संख्या सारणीकृत रूप में भी दी गयी है ।

4· इसके अलावा सार में यह भी उल्लेख किया गया है कि एन·एस·सी·एन· (आई) अनरिप्रजेन्टेड नेशन्स एण्ड पीपुल्स आर्गनाईजेशन (यू·एन·पी·ओ·) की सदस्यता प्राप्त करने में भी सफल रहा है जो हेग स्थित एक प्रभावी गैर-सरकारी संगठन है । इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहुंच बनाना है ताकि भारत विरोधी प्रचार किया जा सके और नागा लोगों के आत्म-निर्णय के पक्ष में एवं एक स्वतंत्र नागा राष्ट्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया जा सके ।

5. रक्षा मंत्रालय और असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार निम्नलिखित कारणों से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एन.एस.सी.एन. को, इसके सभी घटकों, इकाईयों और मोर्चा संगठनों समेत, अधिनियम के तहत विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं :

(i) नागा बहुल क्षेत्रों को भारत संघ से पृथक करने की नीति को सतत समर्थन;

(ii) भारत की संप्रभुता एवं एकता के लिए हानिकर गतिविधियों में सतत संलिप्तता ।

(iii) अपने उद्देश्य की प्राप्ति के साधन के रूप में सशस्त्र कार्यों के द्वारा हिंसा और आतंक का सहारा लेना जारी रखना ।

(iv) नागरिकों तथा पुलिस और सुरक्षा बलों के कार्मिकों की बड़े पैमाने पर हत्याएं जारी रखना ।

(v) व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों समेत जनता से बड़े पैमाने पर लूट-खसोट करना और अवैध रूप से कर वसूलना ।

(vi) उल्फा, बोडो उग्रवादियों, मैतेयी उग्रवादियों, त्रिपुरा जनजाति आतंकवादी समूह और एक खासी आतंकवादी संगठन जैसे पूर्वोत्तर के अन्य विद्रोही संगठनों से संबंध रखना और समर्थन देना ।

(vii) पड़ोसी देशों, मुख्यतः म्यांमार और बंगलादेश में आश्रय स्थल, सुरक्षित ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों को लगातार बनाये रखना ।

(viii) थाईलैंड से प्रच्छन्न रूप से बड़े पैमाने पर अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद प्राप्त करके उन्हें बंगलादेश के माध्यम से मणिपुर और नागालैंड भेजना ।

(ix) नागा बहुल क्षेत्रों को भारत संघ से पृथक करने के आखिरी प्रयोजन से नागाओं के लिए आत्म निर्णय हेतु समर्थन प्राप्ति के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों का प्रयोग करना।

(x) नागा गिरजाघरों और होहो से की गई शांति अपीलों को अस्वीकार करना ।

(xi) मणिपुर और नागालैंड में नागा और कुकी लोगों में साम्प्रदायिक झगड़े पैदा करना और उन्हें बढ़ावा देना ।

6. केन्द्र सरकार का यह भी मत था कि यदि एन.एस.सी.एन. पर तत्काल नियंत्रण न किया गया तो इसे -

(क) अलगाववादी, विध्वंसक और आतंकवादी/हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने संवर्गों को लामबंद करने ।

(ख) भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रतिकूल विचारों वाली शक्तियों के सहयोग से खुलकर राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने

(ग) नागरिकों की और अधिक हत्याएं करने और पुलिस/सुरक्षा बल कार्मिकों को निशाना बनाने में संलिप्त रहने

(घ) विदेशों से और अधिक अवैध हथियार व गोला बारूद प्राप्त करने।

(ङ.) विदेशी एजेंसियों के षडयंत्र से विदेशों में भारत-विरोधी प्रचार के स्तर को और बढ़ाने ।

(च) अपनी विधि विरूद्ध गतिविधियों के लिए जनता से लूट खसोट करने और भारी धन और अवैध करों का संग्रह करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा ।

7. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत निदेश प्राप्त होने पर उक्त धारा की उपधारा (2) के तहत इस आशय का एक एन.एस.सी.एन. को इसके सभी घटकों ईकाईयों, संगठनों सहित, जारी करने का निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के अंदर लिखित में कारण बतायें कि क्यों न उक्त संगठन को विधि-विरूद्ध घोषित कर दिया जाय और 27 नवम्बर, 96 की अधिसूचना में की गई घोषणा की संपुष्टि के आदेश क्यों न जारी कर दिए जाएं । यह निदेश दिया गया कि एन.एस.सी.एन. की सूचना के लिए नोटिस को अखबारों में छपवा दिया जाय और इसे असम, मणिपुर, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड में परिचालित किया जाय और इसकी एक प्रति एन.एस.सी.एन. के गुप्त कार्यालयों, यदि कोई हों, पर भी भेजी जाय और इसकी एक प्रति संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को भी दी जाय और इसकी प्रतियों को, विधि-विरूद्ध कार्य-कलाप (निवारण) नियम, 1968 के नियम 6 में उल्लिखित तरीकों में से एक का प्रयोग करते हुए, जिलाधिकारी कार्यालय समेत, प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगा दिया जाय ।

8. इसकी प्रतिक्रिया के रूप में केन्द्र सरकार असम, अरूणाचल, मणिपुर, नागालैंड राज्य सरकारों की ओर से उक्त नोटिस जारी किए जाने के शपथपत्र प्रस्तुत किये गए । असम,

अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में व्यापक रूप से परिचालित अंग्रेजी और आसामी दैनिक समाचार पत्रों की वे प्रतियां भी प्रस्तुत की गईं जिनमें ट्रिब्यूनल गठित किया जाना और एन•एस•सी•एन• को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना प्रकाशित किया गया था । असम सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र में यह कहा गया है कि बाजारों, सरकारी कार्यालयों और उन क्षेत्रों में जहां एन•एस•सी•एन• के सदस्यों के आने जाने की संभावना हैं, नोटिस चिपका दिए गए हैं । अरूणाचल प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए शपथ पत्र में यह कहा गया है कि चांगलांग और तिरप के उपायुक्त के सरकारी नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया गयाहै और आकाशवाणी बुलेटिन में भी इसे स्थान दिया गया था । मणिपुर सरकार की ओर से दिए गए शपथ पत्र में यह कहा गया है कि नोटिस प्रमुख स्थानों पर चिपकाने और विभिन्न जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा ढिंढोरा पिटवाने तथा लाउड स्पीकरों के प्रयोग के अतिरिक्त इसे 27 जनवरी, 1997 को सायं 7•30 बजे आकाशवाणी के इम्फाल केन्द्र से मणिपुरी तथा अन्य जनजातीय भाषाओं में प्रसारित किया गया था । नागालैंड सरकार की ओर से दाखिल शपथ पत्र में यह कहा गया है कि नोटिस 2 स्थानीय समाचार पत्रों यथा "डेली रिव्यू और टैनई रूहा" में प्रकाशित किया गया था ।

9• गैर-कानूनी क्रियाकलाप निवारण नियमावली के नियम 6 का अनुपालन किया गया है और यथा प्रभावित सेवा पर्याप्त मानी गयी हैं ।

10• नोटिस दिए जाने के बावजूद एन•एस•सी•एन• की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ है और न ही इसके द्वारा अथवा इसकी ओर से कोई कारण बताया गया है कि इसे एक गैर-कानूनी संगठन घोषित करते हुए अधिसूचना की पुष्टि क्यों न की जाए । केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व श्री ए0के0 वाली एडवोकेट कर रहे हैं । असम राज्य का प्रतिनिधित्व श्री एम0 तैय्यब खान तथा सुश्री के0बी0 हिना के साथ श्री शकील अहमद कर रहे हैं । मणिपुर राज्य का प्रतिनिधित्व सुश्री एस0 जनानी और सुश्री रूखसाना चौधरी कर रही है । अरूणाचल राज्य का प्रतिनिधित्व श्री एस0के0 पब्बी, एडवोकेट के साथ वरिष्ठ एडवोकेट श्री स्वराज कौशल कर रहे हैं । नागालैंड राज्य की प्रतिनिधि सुश्री वनीता साहनी, एडवोकेट हैं ।

11. केन्द्र सरकार की ओर से साक्ष्य के रूप में श्री डी0एस0 पूनिया, निदेशक (एन.ई.) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 13 मार्च, 1997 को कुछ दस्तावेजों के साथ एक शपथ पत्र दाखिल किया गया है । इसी प्रकार भारत सरकार के मामले तथा सदंर्भाधीन अधिसूचना के समर्थन में असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों के ओर से भी विभिन्न दस्तावेजों के साथ साक्ष्यों के रूप में शपथ पत्र दाखिल किए गए हैं । दुर्भाग्यवश पर्याप्त अवसरों के बाद नागालैंड राज्य की ओर से कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है ।

12. ट्रिब्यूनल ने मामलों को औपचारिक रूप से निर्धारित करने का निर्णय लिया । केन्द्र और राज्य सरकारों को एन.एस.सी.एन. को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित करने के पर्याप्त कारणों की मौजूदगी प्रमाणित करने के लिए मौखिक साक्ष्य अथवा अन्य कोई सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था ।

13. असम राज्य और केन्द्र सरकार की और से मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था । वे गवाह जिनके बयान दर्ज किए गए थे इस प्रकार हैं : श्री जे0एच0 अहमद, पुलिस अधीक्षक, विशेष आपरेशन यूनिट, असम और श्री डी0एस0 पूनिया, निदेशक (एन.ई.) भारत सरकार, नई दिल्ली अरूणाचल प्रदेश राज्य की ओर से अरूणाचल प्रदेश राज्य में उप महानिरीक्षक रेंज (पूर्व) श्री ए0के0 सिन्हा द्वारा साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त शपथ पत्र भी दाखिल किया गया था ।

14. विचार किये जाने वाला मुद्दा यह है कि क्या केन्द्र सरकार के पास यह राय बनाने में कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत एन.एस.सी.एन. एक गैर कानूनी संगठन है । 27 नवम्बर,1996 को पर्याप्त सामग्री थी और केन्द्र सरकार द्वारा 27 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं0 का0आ0 823 (अ) जारी किया जाना उचित था ।

15. जैसा ऊपर बताया गया है कि ट्रिब्यूनल के समक्ष दो गवाहों की पूछताछ की गई है और विभिन्न दस्तावेज दिखाए गए हैं ।

16. अभियोजन साक्ष्य । श्री जे0एच0 अहमद, विशेष ऑपरेशन यूनिट असम में पुलिस अधीक्षक हैं जिन्हें पूरे असम राज्य में उग्रवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने का दायित्व

सौंपा गया है । उनके द्वारा 14 मार्च, 1997 को दाखिल शपथ पत्र को सिद्ध करने के अतिरिक्त उन्होंने बयान दिया है कि एन0एस0सी0एन0 (के) है जिसके नेता एस॰एस॰ खापलांग हैं, वह उत्तरी नागालैंड अरूणाचल प्रदेश के चांगलांग तथा तिरप जिलों में बड़े पैमाने पर कार्यरत हैं। जबकि दूसरा गुट एन॰एस॰सी॰एन॰ (आई) है जिसके नेता इसाक स्बू और द॰ क्यूबा हैं, यह मुख्यतः दक्षिण नागालैंड, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों और असम के उत्तरी कछार जिलों में सक्रिय है।

उन्होंने अपने शपथपत्र के साथ फाइल किए गए बयान का भी साक्ष्य दिया जिसमें 27 नवम्बर, 1994 से 31 दिसम्बर, 1996 (एक्स॰पी॰डब्ल्यू॰ 1/बी) तक की अवधि के लिए एन॰एस॰सी॰एन॰ से संबंधित घटनाओं का ब्यौरा दिया है । श्री अहमद द्वारा भेद्र की गयी प्रमुख घटनाओं में से एक 25 फरवरी, 1995 की है जब डिब्रूगढ़ से लामडिंग जा रही 5908 डाउन ब्रह्मपुत्र मेल, जिसमें मुख्यतः सी॰आर॰पी॰एफ॰ और बी॰एस॰एफ॰ के जवान यात्रा कर रहे थे, के दूसरी श्रेणी के एक डिब्बे में रखे गए दो शक्तिशाली बम गाड़ी के नीललोंग रेलवे स्टेशन के नजदी क पहुंचने पर फट गए और परिणामस्वरूप उनमें से 26 व्यक्ति मारे गए और 20 व्यक्ति गंभीर रूप से जल गए । उन्होंने एक और प्रमुख घटना को प्रमाणित किया जो 24 जुलाई, 1995 को हुई जब एन॰एस॰सी॰एन॰ (आई) संगठन से संबंधित कुछ उग्रवादियों ने रितजोल कछारी बस्ती के निकट पंजाब पुलिस के एक कमाण्डो दल पर घात लगा कर हमला किया और परिणामस्वरूप पंजाब पुलिस के 6 कमाण्डो मारे गए जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए जिनमें एक नागरिक शामिल है । श्री अहमद ने कार्बी नेशनल वालिन्टियर नामक उग्रवादी संगठन के एक कार्यकर्ता से बरामद एक दस्तावेज को भी प्रमाणित किया जिससे दक्षिण पूर्व हिमालय क्षेत्र के एक तथा कथित-सेल्फ डिफेंस युनाइटेड फ्रंट के वजूद का पता चलता है जिसका मुख्य सयोजक एन॰एस॰सी॰एन॰ का महासचिव है और संयोजक बोडोलैंड के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट का अध्यक्ष है ।

17॰ अभियोजन साक्ष्य 2 गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत तथा जुलाई, 1993 से पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभारी केन्द्रीय सरकार के अधिकारी श्री डी॰एस॰ पूनिया ने उनके द्वारा दायर दिनांक 13 मार्च, 1997 के शपथ पत्र की पुष्टि कर दी है । उन्होंने एन॰एस॰सी॰एन॰ के गठन की एक प्रति प्रो तथा अपने शपथ पत्र के साथ दायर इसके घोषणा पत्र "स्वतंत्र नागालैंड" की भी पुष्टि कर दी है (पूर्व अभियोजन गवाह 2/क)। उन्होंने यह भी बताया कि एन॰एस॰सी॰एन॰ को पहली बार वर्ष 1990 में, पुनः नवम्बर, 1992 में और तत्पश्चात

नवम्बर, 1994 में गैर-कानूनी संगठन घोषित किया गया था तथा इस संबंध में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं की पुष्टि इस अधिनियम के अधीन गठित न्यायाधिकरणों द्वारा की गई थी ।

18. अरूणाचल प्रदेश राज्य की ओर से इसके उप महानिरीक्षक रेंज (पूर्वी) द्वारा साक्ष्य के रूप में दायर किए गए अतिरिक्त हलफनामें में यह बताया गया है कि शिलांग और तिरप सहित अरूणाचल प्रदेश के सात जिलों में डी.आई.जी. रेंज (पूर्वी) के रूप में कार्य करते हुए उन्हें एन.एस.सी.एन. की गैर कानूनी गतिविधियों का व्यक्तिगत जानकारी है । वह उनकी गतिविधियों पर निकट से नजर रखे हुए हैं तथा एन.एस.सी.एन. के सदस्यों द्वारा किए गए अपराधों की जांच-पड़ताल को मॉनीटर करते रहे हैं । उक्त हलफनामे में उन्होंने अरूणाचल प्रदेश राज्य की ओर से दायर किए गए दिनांक 20 फरवरी, 1997 के पहले के हलफनामे की पुनः पुष्टि की है । अरूणाचल प्रदेश राज्य की ओर से दायर किए गए पहले के हलफनामे में, आपराधिक,डराने-धमकाने, अपहरण करने और हत्या तथा धन ऐंठने की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया गया है । इस हलफनामें के साथ, एन.एस.सी.एन. के लैटर हैड पर लिखे गए मांग पत्रों की प्रतियां भी दायर की गई है ।

19. राज्य सरकार की ओर से श्री एच0 ज्ञान प्रकाश, अवर सचिव, गृह विभाग मणिपुर सरकार द्वारा साक्ष्य के रूप में दायर किए गए हलफनामें में, उन विभिन्न घटनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं जिनमें दिसम्बर, 1994 से 27 नवम्बर, 1996 की अवधि के बीच 26 पुलिस कार्मिक और 39 नागरिक मारे गए थे ।

20. उपरोक्त वर्णित हलफनामों तथा रिकार्ड में दिए गए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि "शिलांग समझौते" के पश्चात एन.एस.सी.एन. की वर्ष 1980 में स्थापना की गई थी जिसका घोषित उद्देश्य कुछ क्षेत्रों को जो अब नागालैंड राज्य का हिस्सा है, विभाजित करके नागा लोगों का प्रभुत्व संपन्न राज्य का गठन करना है, जो भारतीय संघ के अंदर एक राज्य होगा । वर्ष 1988 में यह दो गुटें में बंट गया लेकिन दोनों गुटें के उद्देश्य व लक्ष्य वही रहे जो विभाजन से पूर्व एसोसिएशन के थे । दोनों गुटें ने सरकार के सभी ट्रैपिंग के साथ तथाकथित समानांतर सरकारें गठित कर ली है तथा उनकी नियमित सेना के पैटर्न पर धर्म

शासन संबंधी ढांचे के साथ अलग सेना है जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है । अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वे अन्य क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिल गए हैं तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोनों गुटें ने पुलिस कार्मिकों, सरकारी कर्मचारियों तथा नागरिकों पर हमले करने तथा उनकी हत्याएं करने, कथित आयकर के रूप में धन ऐंठने के लिए लोगों का अपहरण करने तथा संबंधित व्यक्तियों को धमकियां देने का रास्ता अपना लिया है कि वे अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो उनको इसके बुरे परिणाम भुगतने होंगे तथा इस प्रकार वे भारतीय संघ से पृथक होने का प्रयास कर रहे हैं । साक्ष्य में यह बात भी सामने आयी है कि वे आदेश जारी करते रहे हैं जिसमें नागरिकों का किसी विशेष धर्म (बैपटिज्म) का अनुपालन करने के निर्देश दिए जाते हैं । उनकी यह सभी गतिविधियां अधिनियम की धारा 2 (च) की परिधि में स्पष्ट रूप से आती हैं ।

21. केन्द्र सरकार तथा असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों की ओर से दायर किए गए हलफनामों में किए गए आरोपों का खंडन न करने के कारण और रिकार्ड पर खंडन के किसी साक्ष्य के न होने पर, संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए बयानों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है । गवाहों द्वारा उद्धृत तथा प्रमाणित की गई धन ऐंठने तथा हत्याओं की घटनाएं उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित है क्योंकि वे अपने-अपने राज्यों की कानून व व्यवस्था तथा सुरक्षा के प्रभारी हैं ।

22. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा रिकार्ड पर लाई गई सामग्री और इसके उद्देश्यों तथा लक्ष्यों से यह पता चलता है कि एन.एस.सी.एन. एक सशस्त्र विद्रोहात्मक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष द्वारा भारत के अन्दर क्षेत्र में अन्य विधि-विरूद्ध संगठनों के सहयोग तथा सीमा पार के पड़ोसी क्षेत्रों में संगठनों के सहयोग से नागा-बाहुल्य क्षेत्रों को भारतीय संघ से मुक्त कराना है ताकि नागालैंड का सृजन किया जा सके । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह नागालैंड, मणिपुर, असम तथा अरूणाचल प्रदेश के राज्यों में अनेक हिंसक गतिविधियों में लगा है जिससे भारत की संप्रभुता व अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है।

23. पूर्वोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ

नागालैंड को जिसमें इसके सभी गुट, विंग तथा फ्रन्ट आर्गेनाईजेशन शामिल हैं, अधिनियम की धारा 3(1) के तहत भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 27 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं0 823(अ) द्वारा उन्हें विधि-विरुद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण था । एन·एस·सी·एन· के स्वरूप गतिविधियों और उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार भी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के उपबंध को लागू करने में न्यायोचित थी। फलस्वरूप, भारत सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में की गई उद्घोषणा की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है ।

नई दिल्ली में 23 मई, 1997 को इस आदेश पर हस्ताक्षर किए गए तथा प्रदान किया गया ।

[फा. सं.-7/51/96-एन. ई-II]

जी. के. पिल्ले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1997

S.O. 455(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the "National Socialist Council of Nagaland" (NSCN) and all factions and wings thereof as unlawful association, vide Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 823(E), dated 27-11-1997;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted vide Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 893(E) dated 24th December, 1997 the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Mr. Justice D. K. Jain, Judge of the Delhi High Court;

And whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said Notification to the said Tribunal on the 24th December, 1996, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association including all its factions and wings thereof as unlawful.

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section 3 of the section 4 of the said Act made an order on the 23rd May, 1997, confirming the declaration made in the Notification S.O. No. 823(E) dated the 27 November, 1996;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said order of the Tribunal, namely :—

ORDER

1. In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 3 of The Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, (for Short the Act), the Central Government vide notification No. S.O. 823(E), dated 27 November 1996, has, for the reasons stated therein, declared the National Socialist Council of Nagaland (hereinafter referred to as NSCN) and all its factions, wings and front organisations thereof as unlawful associations with immediate effect. Further, exercising the powers conferred by proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act, for the reasons recorded in the notification, the Central Government has also directed

that subject to any order that may be made under Section 4 of the Act, the said notification shall have effect from the date of its publication in the official Gazette. The notification has been published in the Gazette of India (Extra-ordinary), Part II, Section 3 - sub-section (ii), on 27 November 1996.

2. Consequent upon the said notification, by a separate notification No.S.O.893(E), dated 24 December 1996, the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, constituted this Tribunal under Section 5 of the Act and made this reference under Section 4 of the Act for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the N.S.C.N., including all its factions, wings and front organisations as unlawful associations. The reference was received the same evening along with a copy of the Gazette notification dated 27 November 1996, specifying the grounds for its issue, as also a copy of the notification dated 24 December 1996, constituting the Tribunal and a brief resume regarding the aims, objects and activities of N.S.C.N., and all its factions, wings and front organisations. From a reading of the resume, the following relevant facts, which evidently formed the basis for issue of notification under Section 3(1) of the Act emerge:

(i) At the time of India's independence in 1947, a section of the Nagas led by A.Z. Phizo had issued an ultimatum in June 1947 to the effect that Nagaland would become a sovereign independent state in August 1947. Accordingly the Naga extremists declared themselves independent on 14 August 1947 and they rejected offers from the Government of India for inclusion of Naga inhabited areas under the Sixth Schedule to the Constitution of India. By 1954 Naga National Council under the leadership of A.Z.Phizo started violent and subversive activities. They burnt down Government camps and threatened the lives of the citizens and other Government servants;

(ii) As a result of an agreement with a section of the National Peoples' Council, the State of Nagaland Act, 1962 was enacted and a separate State of Nagaland came into being w.e.f. 1 December 1963. However, the secessionist, subversive and violent activities of a section of Naga National Council led by A.Z.Phizo continued. Attempts were made to resolve the issue and as a result thereof an agreement, popularly known as 'Shillong Accord' was signed by the Government of Assam and Nagaland on 11 November 1975 with the representatives of the Naga people. Many of the Nagas, who had gone underground, unconditionally

surrendered, laid down their arms and accepted the Constitution of India. Those who surrendered were rehabilitated by the Government.

(iii) However, a group of hard core insurgents led by Isak Swu, Th. Muivah and SS Khaplang did not accept the Shillong accord and in 1980 formed the National Council of Nagaland(NSCN). The N.S.C.N. adopted secession of Naga inhabited areas from the Indian Republic as its main objective and started indulging in subversive and violent activities. Subsequently, in the year 1988, the N.S.C.N. split into two factions; one faction NSCN(K) was led by SS Khaplang and the other NSCN(I) by Isak Swu and Th Muivah.

(iv) As a part of their secessionist aims and objectives, both the NSCN(K) and NSCN(I) formed parallel Governments of the People's Republic of Nagaland with the trappings of a civilian set up under their own common Constitution. Both factions now maintain separate army wings viz., Nagaland Army with a hierarchical set up on the pattern of a regular army. The Naga Army of both factions is equipped with sophisticated weapons.

(v) Both factions of N.S.C.N. have a constitution which specifically speaks of secession of

the Naga inhabited areas from the Indian Union as their ultimate objective. They have been responsible for a large number of subversive activities which include violent incidents of killing and looting of arms and ammunitions from the Army and the police personnel, in which several army/police personnel and civilians have lost their lives.

(vi) Both factions have also sought to play a pivotal role in providing inspiration and support to other insurgent groups in the North East. Both the NSCN(I) and NSCN(K)reportedly have links with the ULFA of Assam, which has also been declared as an unlawful association under the Act. While the NSCN(I) maintains links with Meitei extremists groups like PLA and UNLF, the NSCN(K) has also established links with one faction of the UNLF, a Meitei extremist group active in the valley areas of Manipur.

(vii) While NSCN (K) operates from its Headquarters in neighbouring Myanmar, the NSCN(I) is known to have sanctuaries and training camps in Bangladesh, which they are trying to shift to Myanmar after the installation of new government in Bangladesh.

(viii) Both factions of the N.S.C.N. continue to indulge in secessionist propaganda and in

subversive/terrorist activities. In close coordination with the Naga army and the so called Government of the People's Republic of Nagaland(GPRN), they continue to sustain extremely high level of violence. In one of the recent incidents in Kohima district of Nagaland, on 9 December 1996, NSCN(I) insurgents killed 29 passengers (including 14 Women and 2 children) and 36 other passengers were injured.

(ix) The turf war between the NSCN(I) and NSCN(K) has also resulted in the killing of 398 persons, including security forces/police personnel, in 594 violent incidents in Nagaland, Manipur and Assam by Naga insurgents.

(x) In April-May 1995 an illegal Arms consignment, being transported by various North-eastern insurgent groups, including NSCN(I), was intercepted by the Security forces and as a result thereof, besides seizing a large quantity of sophisticated weapons, 58 insurgents were killed and 43 apprehended.

3. The resume also gives, in the tabulated form, the figures of the violent incidents, number of SF/police personnel and civilians killed in the States of Nagaland, Manipur and Assam from August 1994 to December 1996 by Naga insurgents.

4. The resume further points out that the NSCN(I) has also been able to manage membership of the un-represented nations and peoples organisation (UNPO), an influential NGO based at Hague for the purpose of gaining access to other international fora like the United Nations with a view to launch anti-India propaganda and to mobilise international public opinion in favour of self-determination for the Nagas and for establishment of an independent Naga nation.

5. Based on consultations with the Ministry of Defence and the State Governments of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh and Nagaland, for the following reasons, the Central Government has come to the conclusion that there are sufficient grounds for declaring N.S.C.N., including all its factions, wings and front organisations as unlawful association under the Act:

(i) Continued espousal of the policy of secession of the Naga inhabited areas from the Indian union.

(ii) Continued engagement in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India.

(iii) continued adoption of violence and terror through armed action as means for achieving their objective.

(iv) Continued large-scale killing of civilians and personnel belonging to the police and security forces.

(v) High levels of extortions and illegal tax collections from the public including businessmen, traders and even Government employees.

(vi) Links and support to other North-East insurgent groups like the ULFA, Bodo militants, Meitei extremists, Tripura tribal extremist group and a Khasi extremist outfit.

(vii) Continued maintenance of sanctuaries, safe havens and training camps in neighbouring countries, mainly in Bangladesh and Myanmar.

(viii) Procurement of large number of sophisticated arms and ammunition through clandestine channels in Thailand and induction into Manipur and Nagaland through Bangladesh.

(ix)Use of various international fora for mobilising support for self-determination for the Nagas with the ultimate objective of separating the Naga inhabited areas from the Indian Union.

(x) Rejection of peace initiatives from the Naga Churches and the Naga Hohos.

(xi) Active involvement in causing and

fomenting communal clashes between the Nagas and Kukis in Manipur and Nagaland."

6. The Central Government was also of the opinion that if there is no immediate curb and control on the N.S.C.N., it will take the opportunity to:

(a) mobiles its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(b) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(c) indulge in increased killings of civilians and targetting of police and security forces personnel;

(d) procure and induct more illegal arms and ammunition from across the international borders;

(e) raise the level of anti-India propaganda abroad in connivance with foreign agencies;

(f) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities."

7. On receipt of the reference under sub-section (1) of Section 4 of the Act, notice as required under sub-section (2) of the said Section was directed to be issued to N.S.C.N., including all its factions, wings and front organisations, calling upon it to show cause

in writing within thirty days of the date of service of notice why the association should not be declared unlawful and why order should not be made confirming the declaration made in the notification dated 27 November 1996. The notice was ordered to be served on N.S.C.N. by publication in the newspapers published and circulated in the States of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh and Nagaland and by affixing a copy thereof to some conspicuous part of the office of N.S.C.N., if any, as also serving a copy of the notice on the principal office bearers of the association and displaying the same at prominent public areas including the office of the District Magistrate, some of the modes prescribed in Rule 6 of the Unlawful Activities (Prevention) Rules, 1968.

8. In response thereto affidavits of service of notices were filed on behalf of the Central Government, the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland. Copies of the English and Assamese dailies, stated to have wide circulation in the States of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, wherein notices about the constitution of this Tribunal and calling upon the N.S.C.N. to show cause, were published, have been filed. In the affidavit filed on behalf of the Assam Government it

has been stated that the notices have been pasted in prominent and conspicuous places in markets, Government offices and in areas where the members of the N.S.C.N. are suspected to move around. In the affidavit filed on behalf of the State of Arunachal Pradesh, it has been stated that the notice has been displayed on the official notice board of Dy. Commissioner, Changlang and Tirap and it has also been given coverage in the news bulletin issued on 28 January 1997 on All India Radio, Itanagar. In the affidavit filed on behalf of the Government of Manipur, it is stated that the notice was broadcasted on All India Radio, Imphal station on 27 January 1997 at 7.30 PM in Manipuri and other tribal dialects, apart from the same having been affixed at conspicuous places and proclaimed by beat of drums and use of loudspeakers by the District Magistrates and Superintendent of Police of various districts. In the affidavit filed on behalf of the State of Nagaland it has been stated that the notice was published in two local newspapers namely, 'Daily Review' and 'Tenyi Ralha'.

9. There has been compliance with Rule 6 of the Unlawful Activities(Prevention) Rules and the service so effected is deemed as sufficient.

10. Despite service of notice none has put in appearance on behalf of N.S.C.N. nor any cause has been shown by it or on its behalf as to why the notification declaring it to be an unlawful association shall not be confirmed. The Central Govt. is represented by Shri A.K.Vali, Advocate. The State of Assam is represented by Shri Shakil Ahmed Syed with Shri M.Tayyab Khan and Ms. K.B.Hina. The State of Manipur is represented by Ms. S.Janani and Ms. Rukhsana Choudhary. The State of Arunachal Pradesh is represented by Shri Swaraj Kaushal, Senior Advocate with Shri S.K.Pabbi, Advocate. The State of Nagaland is represented by Ms. Vanita Sahni, Advocate.

11. On behalf of the Central Government, by way of evidence, an affidavit dated 13 March 1997 has been filed by Shri D.S.Poonia, Director (NE), Min.of Home Affairs, Govt. of India, New Delhi along with certain documents. Similarly affidavits by way of evidence have been filed on behalf of the States of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur along with various documents, supporting the case of the Govt. of India and the notification in question. Unfortunately, despite sufficient opportunity, no evidence has been led on behalf of the State of Nagaland.

12. The Tribunal decided to dispense with formal

framing of issues. The Central Government and the State Governments were granted opportunity to adduce oral evidence or produce any other material to substantiate their stand that there was sufficient cause for declaring the N.S.C.N. as an unlawful association.

13. Oral evidence was led on behalf of the State of Assam and the Central Government. The witnesses whose oral testimony was recorded are Shri J.H.Ahmed, Superintendent of Police, Special Operation Unit (SOU), Assam and Shri D.S.Poonia, Director (NE), Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi. An additional affidavit by way of evidence was also filed on behalf of the State of Arunachal Pradesh by Shri A.K.Sinha, Dy. Inspector General Range(East) in the State of Arunachal Pradesh.

14. The issue to be considered is whether there was sufficient material before the Central Government on 27 November 1996 to form the opinion that N.S.C.N. is an unlawful association in terms of the provisions of the Act and the Central Government was justified in issuing notification No.SO.823(E),dt.27 November 1996?

15. As noticed above two witnesses have been examined before the Tribunal and various documents exhibited.

16. P.W.1 Shri J.H.Ahmed, is the Superintendent of Police, Special Operation Unit, Assam, assigned with the duties to keep a watch on the activities of extremists in the entire State of Assam. Besides proving the affidavit filed by him on 14 March 1997 (Ex. P.W.1/A) he has deposed that while one faction of N.S.C.N., namely NSCN(K) led by SS Khaplan operates largely in northern Nagaland, Changlang and Tirap districts of Arunachal Pradesh, the other faction NSCN(I) led by Isak Swu and Th Muivah is mainly active in south Nagaland, hilly areas of Manipur and north Kachhar districts of Assam. He also proved the statement, filed along with his affidavit, giving details of incidents, relatable to N.S.C.N. for the period from 27 November 1994 to 31 December 1996(Ex. P.W. 1/B). One of the major incidents proved by Shri Ahmed took place on 25 February 1996 when two powerful bombs planted in a second class compartment of 5908 DN Brahmaputra Mail from Dibrugarh to Lumding, in which mainly the CRPF and BSF personnel were travelling, exploded when the train reached near Nilalong railway station and as a result thereof 26 persons died and 20 others sustained grievous burn injuries. He proved yet another major incident which took place on 24 July 1995 when some extremists

belonging to NSCN(I) outfit ambushed a Punjab Police Commando party near Ritzual Kachari Basti and as a result thereof 6 Punjab Police Commandos died while 4 others including a civilian sustained grievous injuries. Shri Ahmed also proved a document which was recovered from a volunteer of militant outfit called Karbi National Volunteers which showed the existence of a so called Self Defence United Front of the South-East Himalayan Region of which the Chief Convenor is the General Secretary of N.S.C.N. and the Convenor is President of National Democratic Front of Boroland.

17. PW.2 Shri D.S.Poonia, an official of the Central Government, working as Director in the Ministry of Home Affairs and incharge of North Eastern region since July 1993 has proved the affidavit dated 13 Marcn 1997 filed by him. He also proved a copy of constitution of N.S.C.N. with its manifesto "Free Nagaland", filed along with his affidavit (Ex. P.W.2/A). He also stated that N.S.C.N. was declared to be an unlawful organisation for the first time in the year 1990, again in November 1992 and thereafter in November 1994 and all the notifications issued in this behalf were confirmed by the Tribunals constituted under the Act.

18. In the additional affidavit by way of evidene filed on behalf of State of Arunachal Pradesh by is Dy. Inspector General Range(East) it has been statd that while serving as DIG Range (East) comprising seven districts of Arunachal Pradesh includng Chamlang and Tirap, he has personal knowledge of he unlawful activities of N.S.C.N. He is maintaing a close watch on their activities and has ben monitoring the investigation of orfences committe by the members of N.S.C.N. By the said affidavit hehas re-affirmed earlier affidavit dated 20 February .997 filed on behalf of the State of Arunachal Pradesh. In the earlier affidavit filed on behalf of the Stat of Arunachal Pradesh various incidents of criminal intimidation, kidnapping and murder and extortion have been mentioned. Along with the affidavit copies of the demand letters written on the letter heads of the N.S.C.N. have been filed.

19. In the affidavit by way of evidence filed by Shri H.Gyan Prakash, Under Secretary, Department of Home, Government of Manipur, Imphal on behalf of he State Government, particulars of various incidentsin which 26 police personnel and 39 civilians were kiled between the period from December 1994 to 27 Novemer 1996 have been given.

20. From the aforenoted affidavits as well as oral and documentary evidence brought on record it stands proved that the N.S.C.N. was formed in the year 1980 after the "Shillong Accord" with their declared objective mainly to establish a sovereign State of Naga people by carving out some areas now forming part of State of Nagaland, a State within the Indian Union; it split into two factions in 1988 but aims and objects of both the factions remain the same as that of the pre-split association; both the factions have formed the so called parallel governments with all the trappings of a Government and they maintain separate army with a hierarchical set up on the pattern of a regular army, equipped with sophisticated weaponry; they have also united with other revolutionary organisations to achieve their objects and in order to achieve their objectives both the factions have taken recourse to armed struggle by attacking and killing police, Government employees and civilians, kidnapping people to extort money in the form of so called income-tax, holding out threats to the persons concerned that failing to comply positively with their demand letters they would face adverse consequences, thereby trying to secede from the Indian Union. It has also come in evidence that they have been issuing

orders directing the civilians to follow only a particular religion (Baptism). All its activities clearly fall within the ambit of Section 2(f) of the Act.

21. In the absence of denial of allegations made in the affidavits filed on behalf of the Central Government and the States of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur and any evidence in rebuttal on record, there is no reason to doubt the credibility of the version placed before the Tribunal by the officers of the Union and the State Governments. Most of the incidents of extortion and killings etc. cited and proved by the witnesses are based on their personal knowledge being incharge of the law and order and security of their respective States.

22. The material brought on record by the Central Government and the State Governments and its aims and objects show that the N.S.C.N. is an armed insurrectionary organisation with its primary aim and object to liberate Naga inhabited areas from Indian Union through armed struggle, in association with other unlawful associations in the region within India and the organisations in the neighbouring regions across the country's border for the creation of Naga land. To achieve this object it is engaged in various

violent activities in the States of Nagaland, Manipur Assam and Arunachal Pradesh thereby threatening the sovereignty and integrity of India.

23. For the foregoing reasons I am satisfied that there was sufficient cause for declaring National Socialist Council of Nagaland, including all its factions, wings and front organisations to be unlawful association by notification No.823(E), dated 27 November 1996, issued by the Government of India, Ministry of Home Affairs under Section 3(1) of the Act. In view of the nature and activities and the aims and objects of N.S.C.N., the Central Government was also justified in invoking proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act. Consequently, the declaration made by the Government of India in the said notification is hereby confirmed.

Signed and delivered this 23rd day of May 1997 at New Delhi.

[F. No. 7/51/96-NE. II]
G. K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 -1997